~~108~~ 99

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 207–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 11.12.15 पारित द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार तहसील सिरोंज जिला विदिशा प्रकरण कमांक 1/अ–12/2015–16

बाबूलाल कोली पुत्र श्री सोमा कोली
निवासी – हासनपुर तह0 सिरोंज जिला विदिशा (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. कृष्ण मोहन पुत्र श्री मिश्री लाल
2. श्यामलाल पुत्र श्री मिश्रीलाल
   निवासीगण ग्राम हासनपुर तह0 सिरोंज
   जिला विदिशा (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय हैं।

आदेश

(आज दिनांक 22/1/18 .....को पारित)

यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार तहसील सिरोंज जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 1/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम हासनपुर तह0 सिरोंज स्थित भूमि सर्वे कमांक 125/4 एवं 125/5 का सीमांकन किए जाने हेतु अतिरिक्त तहसीलदारके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अतिरिक्त तहसीलदार के निर्देशानुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन कर दिनांक 11.12.2015 को सीमांकन प्रतिवेदन अतिरिक्त तहसीलदार को दिया गया। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिरोंज द्वारा की गई है। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिये गये हैं कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को वगैर सूचना–पत्र जारी किए तथा बिना कोई नोटिस दिए उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है। तथा विधि का यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि मेड़िया कृषकों को सूचना दिए बिना की गई सीमांकन की कार्यवाही तथा उसकी पुष्टि करने का आदेश प्रारंभ से ही अवैध व शून्य होकर निरस्ती योग्य है।

4/ अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय हैं।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण सीमांकन का है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश दिनांक 11.12.2015 के विरुद्ध निगरानी पेश की गई है जबकि निगरानी आवेदन के साथ 11.12.2015 की जो प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है वह राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन है। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सीमांकन की कार्यवाही उभयपक्षों एवं सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में की गई है। पंचनामा में महेश कैलाश जो कि आवेदक बाबूलाल के पुत्र हैं का अवैध कब्जा अनावेदक की भूमि पर बताया गया है। पंचनामा में यह भी उल्लेख है कि मौके पर दोनों पक्षों द्वारा फसल कटने के बाद कब्जा छोड़ने की सहमति बनी है। दर्शित परिस्थिति में यह कहना कि सीमांकन की कार्यवाही विधिवत नहीं है तथा आवेदक की

अनुपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की गई है मान्य किए जाने योग्य नहीं है। परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर